

एल.ई.डी. (साईज 12'×8'/96 Sq feet) माउन्टेड व्हीकल के माध्यम से
राज्य शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार के
दर निर्धारण एवं योग्य फर्मों का इम्पैनलमेंट हेतु ऑनलाईन निविदा

आमंत्रण

निविदा सूचना क्रमांक-2293

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 28/12/2021

// निविदा प्रपत्र //

निविदा प्रपत्र शुल्क	रुपये 2,360 / -(GST सहित) वापसी योग्य नहीं।
अमानत राशि	रुपये 5,00,000 / -(बिना ब्याज के वापसी योग्य)
प्री बिड की तिथि	दिनांक 06/01/2022 समय 3:00 बजे अपरान्ह
ऑनलाईन निविदा में भाग लेने हेतु ऑनलाईन पंजीयन की तिथि	दिनांक 28/01/2022 समय 2:00 बजे अपरान्ह
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 28/01/2022 समय 3:00 बजे अपरान्ह
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 28/01/2022 समय 4:00 बजे अपरान्ह



छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर

जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771-2512580, 81

Web:- www.cg.nic.in/samvad, email : cgsamvad@gmail.com



छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर

जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771-2512580, 81

Web:- www.cg.nic.in/samvad, email : cgsamvad@gmail.com

क्रमांक 2293 / छ.ग.सं. / प्रका. / 2021

रायपुर, दिनांक 28 / 12 / 2021

एल.ई.डी. (साईज 12'x8' / 96 Sq feet) माउन्टेड व्हीकल के माध्यम से राज्य शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार के दर निर्धारण एवं योग्य फर्मों का इम्पैनलमेंट हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रण

राज्य शासन के विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का एल.ई.डी. माउन्टेड व्हीकल के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु दर निर्धारण एवं योग्य फर्मों का इम्पैनलमेंट हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दस्तावेज छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट <http://samvad.cg.nic.in> से डाउनलोड की जा सकती है। निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि रु. 2,360 /- (दो हजार तीन सौ साठ रुपये मात्र) जीएसटी सहित (वापसी योग्य नहीं) का छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता में जमा करना होगा। उक्त निविदा में किसी प्रकार परिवर्तन अथवा अन्य किसी प्रकार का संशोधन होने की जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं की जाएगी। छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट में परिवर्तन या संशोधन की जानकारी दी जाएगी।

निविदा प्रपत्र शुल्क	रुपये 2,360 /- (GST सहित) वापसी योग्य नहीं।
अमानत राशि	रुपये 5,00,000 /- (बिना ब्याज के वापसी योग्य)
प्री बिड की तिथि	दिनांक 06 / 01 / 2022 समय 3:00 बजे अपरान्ह
ऑनलाईन निविदा में भाग लेने हेतु ऑनलाईन पंजीयन की तिथि	दिनांक 28 / 01 / 2022 समय 2:00 बजे अपरान्ह
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 28 / 01 / 2022 समय 3:00 बजे अपरान्ह
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 28 / 01 / 2022 समय 4:00 बजे अपरान्ह

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर

जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771-2512580, 81

Web:- www.cg.nic.in/samvad, email : cgsamvad@gmail.com

नियम एवं शर्तें

एल.ई.डी (साईज 12'×8'/ 96 Sq feet)माउन्टेड व्हीकल के माध्यम से राज्य शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार के दर निर्धारण एवं योग्य फर्मों का इम्पैनलमेंट हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रण

- (1) छत्तीसगढ़ संवाद फर्म एवं सोसायटी अधिनियम 1973 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी है। छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा शासन के विभिन्न विभागों, निगम-मण्डलों एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं की जनकल्याणकारी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं एवं अन्य जानकारीयों, उपलब्धियों का जनजागरुकता हेतु विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार का कार्य किया जाता है।
- (2) उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र :-
 - 2.1 एल.ई.डी. माउन्टेड व्हीकल के माध्यम से शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का हाटबाजार/ग्राम पंचायतों में प्रचार-प्रसार किया जाना है।
 - 2.2 प्रति कार्यक्रम की अवधि अधिकतम 60 मिनट की होगी।
 - 2.3 कार्यक्रम के दौरान कार्ययोजना के मुताबिक प्रत्येक कार्यक्रम में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी संबंधित कम से कम 300 नग्न ब्रोशर, पाम्पलेट आदि प्रचार सामग्री आम नागरिकों को वितरण करना होगा। प्रचार सामग्री छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। निविदाकार फर्म को कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों को मात्र वितरण का कार्य करना होगा।
- (3) इम्पैनलमेंट हेतु निम्नलिखित दस्तावेज ऑनलाईन में जमा किया जाना है :-
 - 3.1 निविदाकर्ता फर्म का पंजीयन/गुमाश्ता लायसेंस होना अनिवार्य है। संस्था का पंजीयन प्रमाण-पत्र/पार्टनरशिप डीड/आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एवं मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन की प्रतियां संलग्न करना है।
 - 3.2 छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसटी विभाग में निविदाकर्ता फर्म का पंजीयन होना चाहिए। टेक्नीकल बिड में पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना होगा।
 - 3.3 माह नवम्बर 2021 का जीएसटी R3B रिटर्न की प्रति जमा करना होगा।
 - 3.4 एकल स्वामित्व (Proprietorship) संस्था को स्वामी(Proprietor) के पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना है।
 - 3.5 Assessment Year 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के आयकर रिटर्न की प्रति जमा करना होगा।
 - 3.6 निविदा प्रपत्र शुल्क रु. 2,360/- जीएसटी सहित (वापसी योग्य नहीं) एवं अमानत राशि रु. 5,00,000/- (बिना ब्याज के वापसी योग्य) छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता में

ऑनलाईन/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा करना होगा एवं पावती/साक्ष्य की प्रति टेक्निकल बिड के साथ जमा करना होगा।

छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता का विवरण निम्नानुसार है :-

Account Name	:	Chhattisgarh Samvad
Bank Name	:	Axis Bank Ltd.
Branch Name	:	Pandri, Raipur (C.G.)
Saving Account No.	:	139010100021669
IFSC Code No.	:	UTIB0000139

- 3.7 संस्था का वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 कुल 03 वर्ष में व्हीकल माउन्टेड एल.ई.डी. के माध्यम से प्रचार-प्रसार संबंधित औसतन रु. 50 लाख का टर्नओवर होना अनिवार्य है। चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सत्यापित टर्नओवर प्रमाण पत्र में व्हीकल माउन्टेड एल.ई.डी. के माध्यम से प्रचार-प्रसार कार्य का टर्नओवर होने का उल्लेख होना अनिवार्य है।
- 3.8 कार्य से संबंधित प्रमाण के रूप में एल.ई.डी. माउन्टेड व्हीकल के माध्यम से शासन के योजनाओं के प्रचार-प्रसार संबंधित किसी भी शासन से जारी कार्यादेश/कार्य सम्पादन प्रमाण पत्र एवं सत्यापित फोटोग्राफ्स संलग्न करना होगा।
- 3.9 छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट <http://samvad.cg.nic.in> में निविदा के टेक्नीकल बिड में वांछित दस्तावेज एवं फाईनेन्शियल बिड ऑनलाईन जमा किया जाना है। साथ ही ऑनलाईन जमा किये जाने वाले टेक्नीकल बिड के दस्तावेजों की प्रतियां एवं स्टाम्प पेपर में प्रमाण पत्र की मूल प्रति निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं नियत समय तक छत्तीसगढ़ संवाद भवन, नवा रायपुर अटल नगर के द्वितीय -तल में स्थित कक्ष क्र. SF-10 भण्डार शाखा में जमा करना होगा।

(4) एल.ई.डी. (साईज 12'×8'/96 Sq feet) माउन्टेड व्हीकल का विवरण निम्नानुसार है:-

- 4.1 संस्था के पास स्वयं के स्वामित्व का कम से कम दो वाहन अथवा स्वयं के स्वामित्व के वाहन नहीं होने की स्थिति में स्वयं के स्वामित्व वाले वाहन मालिक/फर्म से वाहन किराया/ उपयोग करने संबंधी न्यूनतम 02 वर्ष का अनुबंध निष्पादित होना अनिवार्य है।
- 4.2 वाहन में 12' X8' साइज का हार्डड्रोलिक एल.ई.डी. माउन्टेड होना चाहिए, जो भी 5 फिट उपर 180 डिग्री में रोटेड होनी चाहिए।
- 4.3 पीए सिस्टम आहूजा/जेबीएल/यामाहा या इसी तरह के उच्च गुणवत्ता के कंपनी का कम से कम 1000 वाट का होना चाहिए।
- 4.4 कार्यक्रमों के घोषणा हेतु एम्प्लीफायर होना चाहिए।
- 4.5 वाहन में निरंतर बिजली आपूर्ति हेतु साइलेंट जनरेटर सेट होना अनिवार्य हैं।
- 4.6 वाहन में वीडियो इनपुट के स्रोत VGA, USB, HDMI या DTH लाईव वीडियो इनपुट होना चाहिए।

(5) कार्य का विवरण :-

- 5.1 एल.ई.डी. माउन्टेड व्हीकल के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का विभिन्न जिलों में हाट बाजार/ग्राम पंचायतो एवं विभिन्न स्थानों पर प्रचार-प्रसार करना।

- 5.2 एल.ई.डी. माउन्टेड व्हीकल में प्रचार/ब्रांडिंग आदि गतिविधियों में संलग्न होना अनिवार्य है। इस हेतु ट्रैकिंग (वस्तुस्थिति) की जानकारी हेतु GPS सिस्टम होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त ऑडियो विजुअल उपकरण जिसमें माइक्रोफोन, स्पीकर, एम्पलीफायर, 20KV जनरेटर एवं एल.ई.डी. स्क्रीन (साइज 12'x8') वाहन में होना अनिवार्य है।
- 5.3 प्रत्येक वाहन के साथ ड्राइवर, टेक्नीशियन एवं एक एंकर (उद्घोषक) उपलब्ध कराना होगा। इम्पैनलमेंट फर्मों को एक सॉफ्टवेयर इंजिनियर का व्यवस्था करना होगा जो कि ब्रेकडाउन की स्थिति में तत्काल समस्या का समाधान कर सके।
- 5.4 फ्लैक्स राज्य शासन द्वारा अनुमोदित सामग्री का उपयोग किया जाना है। एल.ई.डी. स्क्रीन में प्रचार हेतु सीडी तथा फ्लैक्स की डिजाइन छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा प्रदान की जाएगी। निविदाकार फर्म को फ्लैक्स मुद्रण कर वाहन में ब्रांडिंग कार्य करना होगा।
- 5.5 वाहन में प्रचार-प्रसार के पूर्व कार्यक्रम की घोषणा किया जाना होगा, जिसमें माइक्रो फोन सिस्टम वाहन में होना अनिवार्य है।

LED configuration

Size	Minimum 12' x 8' feet /96 Sq feet
Specification	P6 SMD outdoor Full color RGB LED full waterproof
Pitch	10mm real pixel RGB
LED Standard	RGB Real Pixel
Working Temperature	45 ⁰ C or higher

(6) आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता):-

किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेटर— प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जायेगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। आर्बिट्रेशन की कार्यवाही आर्बिट्रेशन एवं काउंसिलेशन एक्ट, 1996 के अधीन संपादित होगा।

(7) सामान्य शर्तें :-

- 7.1 वाहन न्यूनतम (साइज 12'x8'/96 Sq feet) की LED Mounted वाहन होनी चाहिए एवं निरन्तर विद्युत आपूर्ति व्यवस्था हेतु साइलेंट जनरेटर सेट, 1000 वॉट आहूजा/जे.बी.एल. /यामहा या समकक्ष का PA System से सुसज्जित होगी। वाहन का पंजीयन 3 वर्ष से ज्यादा पुरानी नहीं होगी। वाहन, शासन की विभिन्न योजनाओं का आकर्षक डिजाइनों एवं रंगों में मुद्रित फ्लैक्स से सुसज्जित होगी। प्रत्येक वाहनों में GPS System लगाकर समुचित Monitoring एक “मोबाईल-ऐप” के द्वारा वास्तविकता के आधार पर किया जाना होगा। मोबाईल-ऐप संबंधित संस्था द्वारा तैयार किया जाएगा। जिसके व्यय का अतिरिक्त भुगतान छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा नहीं किया जाएगा।

- 7.2 संस्था को निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर एवं GST के अतिरिक्त परिवहन व्यय लॉजिंग, बोर्डिंग, पीओएल, वाहन के रखरखाव, चिकित्सा व्यय या अन्य किसी खर्च की प्रतिपूर्ति नहीं किया जाएगा। सभी खर्च संस्था को स्वयं वहन करना होगा।
- 7.3 वाहन, जन, धन, थर्ड पार्टी अथवा अन्य किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दायित्व संस्था के स्वयं की होगी। छत्तीसगढ़ संवाद इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अतः संस्था को बीमा/अन्य आवश्यक सुरक्षा करनी होगी।
- 7.4 संस्था को कार्य के एवज में किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। कार्य पूर्ण होने पश्चात् फर्म द्वारा देयक प्रस्तुत किया जाएगा। तत्पश्चात् छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा विभागों को देयक भेजा जाएगा एवं विभागों से देयक का भुगतान प्राप्त होने पश्चात् ही फर्मों को भुगतान किया जाएगा।
- 7.5 संस्था द्वारा कार्य सम्पादन कर देयक प्रस्तुत करने के पश्चात् GST अधिनियम अनुसार अगामी माह के नियत अवधि में GST जमा कर GSTR1 जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा GST Input Credit को Reverse कर देय ब्याज के साथ राशि संबंधित फर्म के अन्य देयक/अमानत राशि से समायोजन करने का अधिकार छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
- 7.6 संपूर्ण कार्यक्रमों की फोटो और वीडियो फुटेज बनाकर विभाग को प्रस्तुत करना होगा।
- 7.7 यह निविदा मात्र दर निर्धारण एवं इम्पैनलमेंट हेतु आमंत्रित है। इम्पैनलमेंट फर्मों को आवश्यकतानुसार कार्य आबंटन करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
- 7.8 इम्पैनलड संस्था को कार्यादेश जारी करने के पूर्व छत्तीसगढ़ संवाद के पास वाहन एवं अन्य साज-सज्जा के भौतिक सत्यापन का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- 7.9 इम्पैनलड फर्मों को छत्तीसगढ़ संवाद के साथ अनुबंध निष्पादित करना होगा। अनुबंध में निविदा की शर्तों के अलावा आवश्यकतानुसार अन्य शर्तें शामिल करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद को रहेगा।
- 7.10 निविदा प्रपत्र में त्रुटिपूर्ण दस्तावेज होने, निविदा प्रपत्र लागत, अमानत राशि की मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट की प्रति संलग्न न होने पर निविदा निरस्त मानी जाएगी।
- 7.11 निविदा प्रपत्र जमा करने की नियत तिथि एवं समय सीमा के बाद प्राप्त निविदा को अमान्य किया जाएगा।
- 7.12 निविदा की किसी भी शर्तों, नियम कंडिका को शिथिल करने अथवा संपूर्ण निविदा को किसी भी समय निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद को होगा।
- 7.13 संस्था को किसी भी शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्थाओं में ब्लेक लिस्टेड नहीं होने का स्वप्रमाणित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 7.14 निविदा प्रपत्र जमा करने का आशय यह होगा कि निविदाकार फर्मों को उपरोक्त सभी शर्तें मान्य हैं।
- 7.15 निर्धारित प्रारूप में 50 रुपये का स्टाम्प पेपर में यह प्रमाण-पत्र दिया जाना होगा कि संबंधित संस्था/व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र एवं अन्य अभिलेख पूर्णतः सही हैं, और

सत्यापन के समय कोई प्रमाण-पत्र गलत पाए जाने पर उसे छत्तीसगढ़ संवाद की सूचीबद्धता से अगले तीन वर्षों तक के लिए अपात्र घोषित कर दिया जायेगा।

- 7.16 इम्पैनलमेंट हेतु योग्य पाए गए फर्मों को निविदा के न्यूनतम दर पर 2वर्ष के लिए अनुबंध निष्पादित करना होगा। कार्य संतोषजनक पाए जाने पर अनुमोदित दर पर निविदा अवधि में वृद्धि करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित होगा। अनुबंधित अवधि में कार्य संतोषजनक नहीं होने पर कभी भी अनुबंध समाप्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद का होगा।
- 7.17 इम्पैनलड फर्मों के त्रुटि, लापरवाही या अन्य किसी कारण से छत्तीसगढ़ संवाद/जनसंपर्क संचालनालय/शासन के किसी प्रकार की क्षति अथवा प्रतिष्ठा धूमिल होने पर संबंधित फर्म को तीन वर्ष के लिए ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता है एवं पेनाल्टी के रूप में निश्चित राशि देयक का अधिकतम 10 प्रतिशत तक कटौती का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद को होगा। पेनाल्टी राशि का समायोजन फर्म द्वारा जमा अमानत राशि से किया जा सकता है।
- 7.18 व्हीकल माउन्टेड एल.ई.डी स्क्रीन वैन के द्वारा किए गए कार्यक्रम के सत्यापन हेतु इम्पैनलड एजेंसी को जिला जनसम्पर्क अधिकारी /जनपद पंचायत के सीईओ/संबंधित पंचायत के सरपंच/पंचायत सचिव से सम्पादित कार्यक्रम का सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त कर देयक के साथ पस्तुत करना होगा।
- 7.19 GPS based mobile application के माध्यम से वाहनों के प्रत्येक ट्रिप की वास्तविकता की monitoring की जावेगी, एवं उक्त बिन्दुओं में उल्लेखित सत्यापित प्रमाण-पत्रों के अतिरिक्त ऐप के डाटा के आधार पर गणना कर देयकों का भुगतान किया जावेगा।

(8) निर्देश :-

- 8.1 उक्त निविदा के नियम शर्तों, तिथि या अन्य किसी प्रकार की संशोधन होने पर समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी नहीं की जाएगी। मात्र छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट <http://samvad.cg.nic.in> में होगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद, रायपुर (छ.ग.)

Financial Bid Format

			Rate quoted inclusive of all other expenses excluding GST	
SN.	Activity	Description	Rate per day	Rate Per month
1	LED mounted vehicle (Per day minimum 4 programme)	LED screen(p6) size 12 x 8 feet, equipped with GPRs system, Audio visual equipments and generators along with LED Screen, LED technician, one anchor and driver with vehicle maintenance and lodging boarding, photography and video Footage CD, distribution of Brochure etc and including all other expenses. (Distribution material will be provided by Chhattisgarh Samvad/Clients)		

Signature

Name & Designation

Seal of the Tenderer